Call For More Information - 9821593226 / 9821593227

दंड न्यायालयों की अधिकारिता

धारा-177-189 r/w

सामान्य सिद्धांत मामूली तौर पर

177

r/w-2 (J)स्थानीय अधिकारिता

जांच और विचारण के अन्य नियम धारा-178-184

177 का अपवाद

178 जब स्थानीय अधिकारिता अनिश्चित है

179 कार्य +परिणाम

180 अन्य अपराध से सम्बंधित होने के कारण अपराध

181 कुछ ख़ास अपराधो की जांच और विचारण

183 यात्रा या जलयात्रा मे किया गया

अनुकितिपिक उपबंध 185-186

अधिकारिता से बाहर किया गया अपराध 188-189

अपराध

→ **182 पत्रों आदि द्वारा किया गया अपराध**

→ **184 एक सथ विचारणीय अपराधो के लिए**

<u>अधिकारिता (अर्थ)</u> : → **शक्ति** → **प्राधिकार** → **न्यायालय की**

-किसी वाद को सुनकर उसका निर्णय करने के लिए उस वाद का संज्ञान लेकर |

<u>जांचों और विचारनो मे दंड न्यायालयों की अधिकारिता 177-189</u>

<u>विषय प्रवेश :</u> यह अध्याय इस निर्धारण के निमित्त सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है की किसी अपराध की जांच अथवा विचारण के लिए कौन-सा न्यायालय सक्षम होगा |

न्यायालयों की स्थानिक अधिकारिता के सन्दर्भ मे मूल सिद्धांत उपरोक्त धारा-177 मे संनिविष्ट किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक अपराध की जाँच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जायेगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है|

धारा-177 के बाद की धाराएँ न्यायालय की "स्थानीय अधिकारिता" के क्षेत्र को जिसमे किसी अपराध की जाँच अथवा उसका विचारण किया जा सकता है, विशेष रूप से विस्तृत करती है|

इस अध्याय मे समविष्ट नियम परस्प्रिक्रत अनन्य नही है, वरन वे अपने प्रभाव मे संग्रहित प्रकृति की है और उनका आशय जाँच अथवा विचारण को प्रारंभ करने के लिए न्यायालयों के विस्तृत अनुकताप का उपबंध निर्मित कर अपराधियों के अभियोजन को सुविधाजनक बनाना है|

<u>जाँच और विचारण का सामान्य सिद्धांत</u>

<u>1.धारा-177</u> :

- धारा -177 एक सामान्य सिद्धांत है जांच और विचारण के बारे मे,

- धारा 177 के अनुसार हर एक अपराध का जांच और विचरण मामूली तौर पर उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है
- यह एक उपयुक्तता का सिद्धांत है

<u>व्याख्या:</u> मामूली तौर पर शब्द यह अर्थ ध्वनित करता है की यह धारा एक साधारण धारा है और इस संहिता अथवा किसी अन्य विधि के अन्य विशेष उपबंधो के अधीन है

<u>जांच और विचारण के अन्य नियम :</u>

- धारा-१७८ से १८४ के उपबंध सामान्य नियम के अपवाद है
- ये उपबंध दांडिक न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता को विस्तरित करते है और
- धारा-177 के अंतर्गत जो सामान्य सिद्धांत है, अगर उससे कोई असुविधाजनक स्थिति मे ये उपबंध समस्या को कम करने मे कारगार होते है

<u>जाँच और विचारण के अन्य नियम</u>:

- धारा-१७८ से १८४ के उपबंध सामान्य नियम के अपवाद है
- ये उपबंध दांडिक न्यायलयों की स्थानीय अधिकारिता को विस्तारित करते है और
- धारा-177 के अंतर्गत जो सामान्य सिद्धांत है, अगर उसे कोई असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति मे ये उपबंध समस्या को कम करने मे कारगर होते है

  जाँच और विचारणों के विशेष प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

a) जहाँ यह अनिश्चित है की कई स्थानीय क्षेत्रो मे से किसमें अपराध किया गया है |
b) जहाँ अपराध अंशत: एक स्थानीय क्षेत्र मे और अशंत: किसी दूसरे मे किया गया है|
c) अपराध चालु रहने वाला हो और वह एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रो मे चालु रहता है
d) अपराध का निर्माण विभिंत स्थानीय क्षेत्रो मे से किये गये कई कार्यो से मिलकर होता है

<u>पहली परिस्थिति का द्रष्टान्त</u> : जब अपराध का स्थानीय क्षेत्र अनिश्चित है-

अ के ऊपर अपराधिक न्यास को भंग करने का आरोप है| संपत्ति उसको क जगह पर न्यस्त किया गया उसका व्ययत करने के लिए वह सम्पत्ति का बेईमानी से व्ययत करता है और यह अनिश्चित नही है की संपत्ति का गबन स्थान क पर हुआ या ख पर

तब अपराध की जांच और विचरण किसिस भी स्थान पर हो सकता है क पर अथवा ख पर |

<u>दूसरी परिस्थिति का द्रष्टान्त :</u> जहाँ अपराध अशंत एक स्थानीय क्षेत्र मे अशंत किसी दुसरे स्थानीय क्षेत्रो मे चालू रहता है

'अ' ने अपमिश्रित खाद्य पदार्थ क जगह पर निर्मित किया और ग्राहक को अपमिश्रित खाद पदार्थ ख जगह पर बेच दिया

अत: 'क' और 'ख' दोनों की स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय मे जांच और विचारण किया जा सकता है

<u>तीसरी परिस्थिति का द्रष्टांत :</u> अपराध चालु रहने वाला हो और वह एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रो मे चालु रहता है

a ने b का अपहरण x जगह पर से किया फिर उसको y जगह पर लेकर गया फिर z अपराध का जांच और विचारण x या y या z किसी भी स्थान पर किया जा सकता है

<u>चौथी परिस्थिति का द्रष्टांत</u>: अपराध का निर्माण विभिन्न स्थानीय क्षेत्रो मे से किये गये कार्यो से मिलकर होता है|

एक कूटकृत रसीद का निर्माण क नामक स्थान पर किया गया और उसे प्रयोग मे लाने के लिए ख नामक स्थान पर भेजा गया था|

अत: क और ख दोनों ही स्थानों पर कूटकृत रसीद देने का कार्य हुआ है अत: इन स्थानों मे से किसी भी क्षेत्र के न्यायालय मे अपराध की जांच और विचारण का कार्य सम्पादित किया जा सकता है

<u>2. धारा-179 :</u> अपराध वह विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला

<u>द्रष्टांत</u> : एक व्यक्ति च को क नामक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अन्दर घायल किया गया और उसकी म्रत्यु ख नामक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर हुई | यहाँ च पर किया गया आपराधिक मानव-वध का विचारण क अथवा ख किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है

<u>3.धारा-180</u> : जहाँ कार्य अन्य अपराध से सम्बंधित होने के कारण अपराध है|

<u>द्रष्टांत</u> : चोरी अपने आप मे एक अपराध है अत: चोर्य वस्तु को प्राप्त करने अथवा अपने पास रोक रखना एक ऐसा कार्य है जो चोरी नामक अपराध से सम्बंधित है और इसलिये अपराध है इस प्रकार चोर्य वस्तु को लेने अथवा अपने रोक रखने के आरोप की जांच या विचारण ऐसे किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर माल चुराया गया है या अथवा उसे प्राप्त किया गया था, या अपने पास रोक रखा गया था|

<u>4.धारा -181 कुछ अपराधो की दशा मे विचारण का स्थान</u>

- <u>ठगी, डकेती या अभिरक्षा से निकल भागने वाले अपराधो मे-</u> जांच या विचारण का कार्य उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपराध किया गया है, या अभियुक्त मिला है |

- व्यपहरण और अपहरण -जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर कोई व्यक्ति व्यय्हत या अप्ह्य्त किया गया
- जहाँ ले जाया गया
- जहाँ छिपाया गया था
- जहाँ निरुद्ध किया गया है
- चोरी,उद्यापन या लूट - जहाँ अपराध किया गया या चुराई हुई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्ज़े मे रखी गयी
- आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग - जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर
- अपराध किया गया है
- उस संपत्ति का कोई भाग अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया गया है
- संपत्ति रखा गया है
- संपत्ति लौटाया गया है या
- उसका लेखा दिया है

चुराई हुई संपत्ति - जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर

- अपराध किया गया है
- चुराई हुई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्ज़े मे रखी गयी

5. पत्रों,आदि द्वारा किया गया अपराध-धारा -182

- जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर
- ऐसे पत्र या सन्देश भेजे गये हो
- या प्राप्त किये गये है
- जिसकी अधिकारिता के अन्दर संपत्ति, प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त की गयी है या अभियुक्त द्वारा की गयी है

6.द्विविः अपराध की जांच या विचारण-182

- विशिष्ट अबंध की अनुपस्थिति मे द्विविः अपराध की जांच विचारण केवल उसी स्थान पर किया जा सकता है:-
- जहा पर अपराध किया गया था
- जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दत अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया है,
- अपराध कारित होने के बाद प्रथम विवाह की पत्नी ने स्थायी निवास कर लिया है

7.यात्रा या जल यात्रा मे किया गया अपराध: धारा -183 जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर

- व्यक्ति या चीज़ होकर गुजरी है, या
- वह व्यक्ति या चीज़ या जल यात्रा के दौरान गया है, या गयी है

8.एक साथ विचारणीय अपराधो के लिए विचारण का स्थान धारा-184 :

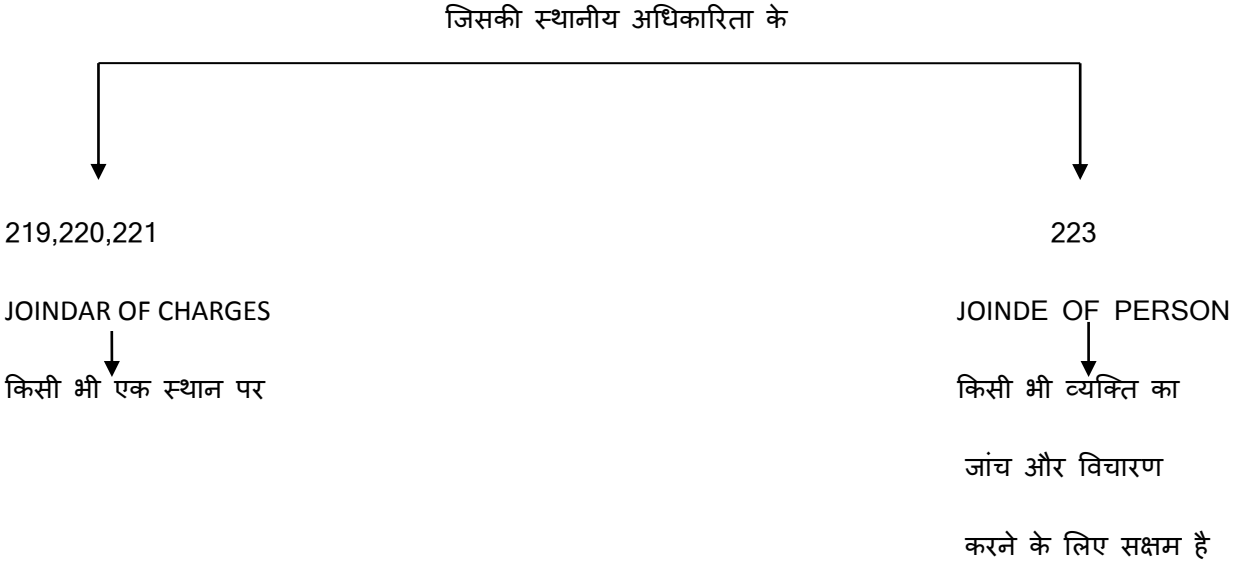

अनुकाल्पित अबंध

1. **राज्य सरकार की विभिन्न सेशन खंडो मे मामलो के विचारण का आदेश देने की शक्ति- धारा 185**

इस धारा द्वारा राज्य सरकार को जो शक्ति प्रदान की गयी है, वह एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग लोकहित मे किया जाना आशयित है,

उदहारण के लिए खलबली मचा देने वाले किसी मामले का विचारण इस तरह की स्थिति मई किसी अन्य सेशन खंड मे विचारण के लिए सुपुर्य करने का आदेश न्यायामुक्त माना गया है

परन्तु उच्च न्यायालय एवं उच्तम नयायालय के निदेश राज्य सरकार द्वारा दिए गये निर्देश के अधीन नही रहेंगे|

2. **संदेह की दिशा मे उच्च न्यायालय का वह जिला विनिच्चित करना जिसमे जांच विचारण होगा धारा-186**

जहाँ एक ही अपराध के लिए विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों मे कार्यवाहिया संस्थित की गयी है जिसमे से कुछ परिवाद पर और कुछ पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है, वह यह आवश्यक नही है की वह न्यायालय ही समुचित वाद-स्थल है, जिसने अपराध का सर्वप्रथम संज्ञान ग्रहण करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास होनी चाहिए|

परिस्थिति 1. यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा

-2. यदि वे एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नही है, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर कार्यवाही पहले प्रारंभ की गयी है, विनिचित किया जायेगा और तब उस अपराध के सम्बन्ध मे अन्य सब कार्यवाहियां बंद कर डी जायगी|

<u>अधिकारिता से बहार किये गए अपराध का जांच और विचारण</u>

1. **मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे मामलो मे जांच और विचारण करना जिसकी अधिकारिता उसके पास नही है| धारा -187**

जब अपराधो उसकी अधिकारिता से बहार अपराध करता है और चाहे अपराध संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, चाहे भाप्त के अंदर हो या बाहर हो, और वह व्यक्ति उसकी अधिकारिता के अन्दर है तब मजिस्ट्रेट के अधिकारिता के भीतर किया गया है चाहे तो वह उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भी भेज सकता है जिसकी अधिकारिता के अन्दर अपराध किया गया है

2. **भारत से बाहर किया गया अपराध धारा-188**

   जहाँ अपराधी पाया जाता है

   लेकिन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जांच और विचारण नही किया जा सकता है

3. **भारत के बहार किये गये अपराधो के बारे मे साक्ष्य लेना धारा-189**

   यह धारा साक्ष्य का एक विशेष नियम प्रस्तुत करती है और धारा-188 के अधीन किसी मामले से संव्यवहार करने वाले न्यायालय को सक्षम बनाती है की वह ऐसे मामले मे सम्बंधित विदेशी राष्ट्र के किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये परदेशो की प्रतियों को साक्ष्य के रूप मे ग्रहण कर सके

   NOTE: उप्रुक्त उपबंधो पर विचार किये बिना कुछ ऐसे विशेष अबंध है जो धारा-406-412 तक दिए गए है अध्याय 31 के अंतर्गत जो विभिन्न न्यायालयों को शक्ति प्रदान करने है वादों के अंतरण के लिए |

आपराधिक मामलो का अंतरण

406-412

मामलो और अपीलों का अंतरण

धारा 406-408

अपीलों और मामलो को वापस लेना

धारा 409-411

उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 406

हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर

-अगर न्याय के अधीन उचित हो

-मुआवज़ा-1000/-

उच्च न्यायालय द्वारा धारा-407

-407 (1)(2)(3) r/w-26 crpc

-474 crpc

-1000/-

सेशन न्यायालय द्वारा धारा 408

- म्हान्ययाधिवक्ता के आवेदन पर

-ADVOCATE जनरल ऑफ़ स्टेट

- हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर

-250/-

सेशन न्यायालय 409

CJM/CMM 410

DM SDM 411

धारा-412

कारणों को अभिलिखित करेगा

<u>विषय प्रवेश :</u> ऋजू और भेदभाव रहित विचरण के लिए कभी कभी मामले का अंतरण आवश्यक हो जाता है यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के पास इस विश्वास का युक्तियुक्त कारण है वह किसी न्यायधीश विशेष के हाथो ऋजु विचारण नही प्राप्त कर सकता है, तो उसे यह अधिकार मिलना चहिये की वह अपने मामले का अंतरण किसी अन्य न्यायालय मे करा ले|

इस सिद्धांत पर आपत्ति नही की जा सकती है और इसे विस्त्रीं मान्यता मिल चुकि है| यह अध्याय इसी सिद्धांत को प्रभाव मे लाता है और उसके संभावित दुरूपयोग के विरुद्ध संरक्षी प्रदान करता है| इस अध्याय मे इस प्रकार छ: प्रकार के मामलो का अंतरनो का अनुचिंतन किया गया है-

1. उच्चतम न्यायालयों द्वारा मामलो और अपीलों का अंतरित करना
2. उच्च न्यायालय द्वारा मामलो और अपीलों का अंतरण
3. सेशन न्यायधीश द्वारा मामलो और अपीलों का अंतरण
4. सेशन न्यायधीश द्वारा मामलो का वापिस लेना
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलो का वापिस लेना
6. कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलो का अपने-अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले करना या वापस करना|